रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2012/वैशाख 4, 1934
No. 186] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2012/VAISAKHA 4, 1934

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2012

सा.का.नि. 317(अ).—विदेशी अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विदेशी न्यायाधिकरण आदेश, 1964 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :-

1. (1) इस आदेश को विदेशी (न्यायाधिकरण) संशोधन आदेश, 2012 कहा जाए।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के पैरा 3 में निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"3. प्रश्नों के निपटान की प्रक्रिया (1) न्यायाधिकरण प्रश्न से संबंधित व्यक्ति को उस पर विदेशी होने के लगाए गए आरोप संबंधी मुख्य आधारों की एक प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस देगा। यह नोटिस यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र दिया जाना चाहिए, और किसी भी मामले में, केन्द्रीय सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा ऐसे संदर्भ प्रश्न की प्राप्ति से दस दिन से अधिक नहीं।

(2) न्यायाधिकरण उसे अभ्यावेदन दायर करने के माध्यम से कारण बताने का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। साधारणतया, जैसे कि पहले कहा गया है, नोटिस दिए जाने की तारीख से इस प्रकार का अभ्यावेदन दायर करने हेतु दस दिन से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए।

(3) न्यायाधिकरण उसे अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। साधारणतया ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दस दिन से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए।

(4) न्यायालय में गवाहों से जिरह संबंधी अनुरोध अथवा दस्तावेजों की प्रस्तुति संबंधी अनुरोध, यदि न्यायाधिकरण को यह लगता है कि इस प्रकार का अनुरोध किसी परेशानी अथवा विलंब अथवा इस प्रकार के किसी अन्य प्रयोजनार्थ किया गया है, तो अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(5) न्यायाधिकरण संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य उसी रूप में ग्रहण करेगा।

(6) न्यायाधिकरण उन्हीं व्यक्तियों की सुनवाई करेगा, जिनकी सुनवाई किया जाना उसकी राय में अपेक्षित है।

(7) कार्यवाही में किसी पक्ष को न्यायाधिकरण के समक्ष, या तो व्यक्तिगत रूप में अथवा विधिक व्यवसायी के माध्यम से अथवा किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संबंधी जो उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हों और न्यायाधिकरण द्वारा पक्ष को प्रस्तुत करने के योग्य माना गया हो, प्रस्तुत होने की अनुमति दी जा सकती है।

(8) किसी भी अपील के स्थगन की मंजूरी संबंधी शक्तियों का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए।

(9) मामले की सुनवाई होने के तत्काल बाद, न्यायाधिकरण संदर्भ क्रम में उस अधिकारी अथवा इसके लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष अपनी राय व्यावहारिक रूप से यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी के पास संदर्भ की प्राप्ति के पश्चात् 60 दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले का निपटान किया जाना चाहिए।

(10) संदर्भित प्रश्न पर न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश जिसमें इसकी राय भी शामिल है, का विस्तार में होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह कोई न्यायालय का निर्णय नहीं है; तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और निष्कर्ष ही पर्याप्त होगा।

(11) इस आदेश के प्रावधानों के अध्यधीन, न्यायाधिकरण को मामलों का समयबद्ध रूप से त्वरित निपटान करने संबंधी अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी।

[फा. सं. 25022/236/2011-एफ-1]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 1964 को भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3(i), जी.एस.आर. 1401 में प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2012

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following amendment in the Foreigners' Tribunal Order, 1964, namely:-

1 (1) This order may be called the Foreigners (Tribunal) Amendment Order, 2012.

(2) This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Foreigners (Tribunal) Order, 1964, for para 3, the following shall be substituted, namely:-

"3. Procedure for disposal of questions (1) The Tribunal shall serve on the person to whom the question relates a show cause notice with a copy of the main grounds on which he or she is alleged to be a foreigner. This notice should be served as expeditiously as possible, and in any case, not later than ten days of the receipt of the reference

of such question by the Central government or any competent authority.

(2)The Tribunal shall give him or her a reasonable opportunity to show cause by filing a representation. Ordinarily, not more than ten days' time from the date of service of the notice as aforesaid should be given to file such a representation.

(3)The Tribunal shall give him or her a reasonable opportunity to produce evidence in support of his or her case. Ordinarily, not more than ten days' time should be given to produce such evidence.

(4)A prayer for examination of witnesses in Court or on Commission for production of documents shall be refused if, in the opinion of the Tribunal, such prayer is made for the purpose of vexation or delay or similar purpose.

(5)The Tribunal shall take such evidence as may be produced by the Superintendent of Police concerned.

(6)The Tribunal shall hear such persons as, in its opinion, are required to be heard.

(7) A party to the proceeding may be allowed to appear before the Tribunal either in person or through a legal practitioner or such person or relation authorized by him in writing as the Tribunal may admit as a fit person to represent the party.

(8) The power of granting adjournment on any plea should be very sparingly exercised.

(9) After the case has been heard, the Tribunal shall submit its opinion as soon thereafter as may be practicable, to the officer or the authority specified in this behalf in the order of reference. Every case should be disposed of within a period of 60 days after the receipt of the reference from the competent authority.

(10) The Tribunal's final order containing its opinion on the question referred to need not be a detailed order as it is not a judgment; a concise statement of facts and the conclusion will suffice.

(11) Subject to the provisions of this Order, the Tribunal shall have the power to regulate its own procedure for disposal of the cases expeditiously in a time bound manner.

[F. No. 25022/236/2011-F. I]
G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

Note : The Foreigners' (Tribunal) Order was published in the Gazette of India, part II, section 3(i), GSR 1401 dated the 23rd September, 1964.

1449GI/12-2
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.